UPSR010014932026

न्यायालय Special Judge(SC/ST), Shravasti

पीठासीन अधिकारी– (Awanish Gautam), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) –**

UP01682

जमानत आवेदन-पत्र संख्या- 590/2026

शहाबुददीन शेख उम्र 43 वर्ष पुत्र नसीर अहमद उर्फ छोटकउ साकिन सिंह पुर थाना ललिया जनपद बलरामपुर ––––––अभियुक्तगण

–––प्रति––

राज्य उत्तर प्रदेश ––––––अभियोगी।

अपराध संख्या 320/2025

अन्तर्गत धारा 119 (1), 115 (2), 352, 351 (3), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध), 3 (1) (च), 3 (2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।

थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती।

निस्तारण प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत

दिनांक 20–07–2026

अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत हुआ।

यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त शहाबुददीन शेख द्वारा अपराध संख्या 320/2025 अन्तर्गत धारा 119 (1), 115 (2), 352, 351 (3), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध), 3 (1) (च), 3 (2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है। जमानत आवदेन पर ही यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है और कोई जमानत प्रार्थना पत्र न ही किसी अन्य न्यायालय पर अथवा न ही उच्च न्यायालय से खारिज हुआ और न ही लंबित है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रमोद कुमार द्वारा थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती पर इन कथनों की तहरीर दी गयी कि प्रार्थी की जमीन गब्बापुर कला थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती मे है जिसका गाटा संख्या 1112

ग/0121 हे0 है। जिसमें 1/4 भाग 85.98 वर्ग मीटर जमीन प्रार्थी की है। प्रार्थी की जमीन के पास विपक्षी सहाबुददीन शेख पुत्र नसीर अहमद उर्फ छोटकउ निवासी ग्राम सिंहपुर थाना ललिया जनपद बलराम पुर की जमीन है। दिनांक 12–07–2025 को समय करीब 01 बजे प्रार्थी की जमीन पर विपक्षी शहाबुददीन व उसके सहयोगी अजमत अली उर्फ नानबाबू पुत्र जलील अहमद निवासी ग्राम गब्बा पुर कला थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती तथा नसीबदार पुत्र बाउर ग्राम भरथाकला थाना सिरसिया जनपद श्रावस्ती मिलकर नीव खोद कर कब्जा करने लगे जब प्रार्थी ने मना किया तो विपक्षीगण उपरोक्त ने मुझे जातिसूचक गाली देते हुए मुक्का थप्पड़ से मारने लगे और कहा कि साले पासी मादरचोद यह जमीन मुझे दे दो नहीं जो हम तुम्हे जान से मार कर यह जमीन ले लेंगे तथा धमकी देने लगे कि अगर कही जाकर शिकायत किया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त का कथन है कि वादी मुकदमा द्वारा लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार हैं। वादी ुकदमा ने अपने तहरीर में लिखा है कि ग्राम गब्बा पुर कला की गाटा संख्या 1112 ग रकब 0.121 हे0 मे उसका 1/4 अंश है उसी गाटा संख्या में अभियुक्त भी सहखातेदार हे। उक्त भूमि मिनजुमला गाटा नम्बर की है जिसमें पक्षकारो के मध्य सीमा का विवाद है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अभियुक्त ने न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड व प्रवर खण्ड श्रावस्ती के न्यायालय पर कैविएट भी दायर किया था। पक्षकारों के मध्य सिविल प्रकृति का विवाद है। लेकिन वादी ने आपराधिक रंग देकर मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त को फंसा दिया है। घटना दिनांक 12–07–2025 की बताई गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16–08–2025 को पंजीकृत कराया गया है जो एक माह पांच दिन विलम्ब से दर्ज कराया गया है। और उसका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। तथा कथित घटना के सम्बन्ध में दो भिन्न–भिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया है वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सरोज द्वारा मकदमा अपराध संख्या 320/2025 व सहजराम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 321/2025 पंजीकृत कराया गया है। उपरोक्त दोनो प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय, दिनांक व स्थल सब समान है तथा तहरीर भी शबदशः समान है। उक्त दोनो प्राथमिकी के वादी मुकदमागण ने अपनी अपनी तहरीर में सिर्फ स्वयं को ही अपराध का पीड़ित बताया है जबकि दूसरे प्राथमिकी के वादी मुकदमा का जिक्र नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोप प्रथम दृष्टया असत्य प्रतीत होते हैं। प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है तदनुसार प्रार्थी द्वारा अग्रिम जमानत की याचना की गयी है।

विद्वान ए0डी0जी0सी0 द्वारा अग्रिम जमानत पर घोर विरोध किया गया जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत में लिये गये आधारों पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी।

सुना तथा समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष की ओर से पृथ्वीराज चौहान व किरन प्रति राजकुमार जिवराज जैन

मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि जहां एफ0आई0आर0 देखने से प्रथम दृष्टया केस नही बनता है वहां पर अग्रिम जमानत स्वीकार की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 119 (1), 115 (2), 352, 351 (3), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3 (1) (द) (ध), 3 (1) (च), 3 (2) (va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट मे प्रस्तुत की जा चुकी है जिसपर न्यायालय द्वारा प्रंसज्ञान आदेश भी पारित किया जा चुका है। अतः प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत नहीं हो रहा है। एतएव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानो के दृष्टिगत अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त शहाबुददीन शेख द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

(अवनीश गौतम)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
श्रावस्ती।